SA-260 (R)
नियंत्रण के लिये प्रभारित व्यक्तियों के साथ संप्रेषण

Q. 01 नियंत्रण के लिये प्रभारित व्यक्तियों से आप क्या समझते हैं ?

Ans: SA-260 के अनुसार , नियंत्रण के लिये प्रभारित व्यक्ति उन व्यक्तियों अथवा संगठनों को संदर्भित करते हैं (उदाहरण के लिये निगमित न्यास (Corporate trustee)) जिनका उत्तरदायित्व उपक्रम के Strategic direction का निरीक्षण करने तथा उपक्रम के लेखांकन से संबंधित होता है। इसमें वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया का निरीक्षण भी शामिल होता है। कुछ उपक्रमों के लिये नियंत्रण के लिये प्रभारित व्यक्तियों में प्रबंध कार्मिक (Management personel) का समावेश भी हो सकता है उदाहरण के लिये एक अधिग्रहीत सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र के शासकीय मंडल (Governance body) का एक अथवा स्वामी–प्रबंधक। कुछ दशाओं में , नियंत्रण के लिये प्रभारित व्यक्ति उपक्रम के वित्तीय विवरणों को अनुमोदित करने के लिये उत्तरदायी होते हैं (जबकि अन्य दशाओं में यह उत्तरदायित्व प्रबंध का होता है) इसके अतिरिक्त दूसरी तरफ प्रबंध शब्द उस व्यक्ति (व्यक्तियों) को संदर्भित करता है जिनका दायित्व उपक्रम के परिचालन को संपादित करना है।

Q. 02 नियंत्रण के लिये प्रभारित व्यक्तियों के साथ संप्रेषण करने का अंकेक्षक का उद्देश्य क्या हैं ?

Ans: SA-260 के अनुसार , अंकेक्षक का उद्देश्य है कि वह :–

(A) नियंत्रण के लिये प्रभारित व्यक्तियों के साथ सही है अंकेक्षक का यह दायित्व है कि वह वित्तीय विवरण के अंकेक्षण तथा अंकेक्षण के नियोजित क्षेत्र के संपूर्ण विचार तथा समय के संबंध में स्पष्ट रूप से नियंत्रण के लिये प्रभारित व्यक्तियों के साथ संप्रेषण करें।

(B) नियंत्रण के लिये प्रभारित व्यक्तियों से अंकेक्षण से संबंधित सूचनाएँ प्राप्त करना।

(C) अंकेक्षण के दौरान उत्पन्न हुये महत्वपूर्ण अवलोकनों को समयानुसार प्रदान करना , जो नियंत्रण के लिये प्रभारित व्यक्तियों के लिये वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया के निरीक्षण से संबंधित है।

(D) अंकेक्षक तथा नियंत्रण के लिये प्रभारित व्यक्तियों के मध्य दो तरफा संप्रेषण (Two way communication) को प्रोत्साहित करना।

Q. 03 कौन से विषय हैं जिनका संप्रेषण करना आवश्यक हैं ?

Ans: 01. वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के संबंध में अंकेक्षक का उत्तरदायित्व :–

अंकेक्षक को इस बात का संप्रेषण करना चाहिये कि वह प्रबंध द्वारा नियंत्रण के लिये प्रभारित व्यक्तियों के साथ तैयार किये गये वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने तथा राय कायम करने के लिये उत्तरदायी है। तथा वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण प्रबंध तथा नियंत्रण के लिये प्रभारित व्यक्तियों को उनके दायित्वों से मुक्त नहीं करता है।

02. अंकेक्षण का नियोजित क्षेत्र तथा समय :–

अंकेक्षक को अंकेक्षण के नियोजित क्षेत्र तथा समय के एक सर्वांगीण विचार का भी संप्रेषण करना चाहिये।

03. अंकेक्षण से प्राप्त महत्वपूर्ण खोज :–

A. अंकेक्षक को उपक्रम के लेखांकन व्यवहारों के सभी महत्वपूर्ण मात्रात्मक पहलूओं के बारे में अपने विचारों का संप्रेषण करना चाहिये जिसमें लेखांकन नीतियों , लेखांकन अनुमानों तथा वित्तीय विवरण की अभिव्यक्तियों का भी समावेश होता है।

B. अंकेक्षण के दौरान सामने आई महत्वपूर्ण कटिनाईयॉ यदि कोई है तो।

C. जब तक उपक्रम के प्रबंध में नियंत्रण के लिये प्रभारित व्यक्ति शामिल है :–

(i) आंतरिक नियंत्रण की डिजाईन , उसकी स्थापना अथवा उसके प्रभावी संचालन में यदि कोई महत्वपूर्ण कमजोरियॉ अंकेक्षक के सामने आई हैं तथा जिसका SA-315 अथवा SA-330 के अनुसार प्रबंध का संप्रेषण करना आवश्यक है।

(ii) महत्वपूर्ण विषय , यदि कोई हों तो , जो अंकेक्षण के दौरान उत्पन्न हुये है जिन पर प्रबंध के साथ विचार विमर्श किया जाना चाहिये अथवा जो पत्र–व्यवहार (Correspondance) के अधीन है।

(iii) अंकेक्षक लिखीत विवरण के भी मॉग सकता है।

D. अन्य विषय , यदि कोई हो तो , जो अंकेक्षण के दौरान सामने आये हैं तथा जो अंकेक्षक के पेशेगत निर्णय के हिसाब से वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया के लिये महत्वपूर्ण हैं।

Q. 04 एक सूचीबद्ध कंपनी की दशा में ऐसे कौन से अतिरिक्त संप्रेषण हैं जो अंकेक्षक द्वारा करने आवश्यक हैं ?

CA Aseem Trivedi Indore

Ans: SA-260 के अनुसार , एक सूचीबद्ध उपक्रम की दशा में , अंकेक्षक को प्रबंध के लिए प्रभारित व्यक्तियों को इस बात का संवहन कर देना होगा कि एन्गेजमेंट टीम तथा फर्म के सभी व्यक्ति एवं फर्मो का एक नेटवर्क हो तो एसी सभी फर्मो में स्वतंत्रता की आचार संहिता का पालन किया गया है एवं अंकेक्षक की राय में उपरोक्त में से किसी के भी संस्था से किए गये व्यवहारों से अंकेक्षक की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होती। के द्वारा यह भी बता दिया जाना चाहिए कि जहां तक अंकेक्षण की फीस एवं अन्यकार्यो से फीस की तुलना की जाए तो अन्य कार्यो की फीस इनकी नहीं है िकवह अंकेक्षक की स्वतंत्रता पर प्रभाव डालों अंकेक्षक को यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि उसने स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले बिंदु पर विचार कर उसको संभावना को खत्म कर दिया है। अथवा उन्हें एक स्वीकृत सीमा तक कम कर दिया है

Q. 05 SA-260 के अंतर्गत कौन सी अन्य बातों पर ध्यान देना आवश्यक हैं ?

Ans: 01. जब अंकेक्षक को अपने पेशेगत निर्णय के अनुसार यह लगता है कि केवल मौखिक संप्रेषण करना पर्याप्त नहीं होगा तो उसे नियंत्रण के लिये प्रभारित व्यक्तियों के साथ लिखीत में संप्रेषण करना चाहिये। जहॉ इस SA के अनुसार आवश्यक विषय मौखिक रूप से संप्रेषित किये गये हैं तो अंकेक्षक को उनका प्रपत्रीकरण कर लेना चाहिये तथा इस बात का भी प्रपत्रीकरण कर लेना चाहिये कि कब और किसके साथ संप्रेषण किया गया है। जब विषयों का लिखीत संप्रेषण किया गया है वहॉ अंकेक्षक को संप्रेषण की एक प्रतिलिपी अंकेक्षण प्रपत्रीकरण के एक भाग के रूप में अपने पास रख लेना चाहिये।

02. समय के आधार पर अंकेक्षक को नियंत्रण के लिये प्रभारित व्यक्तियों के साथ संप्रेषण करना चाहिये।

03. अंकेक्षक को इस बात का मूल्यांकन कर लेना चाहिये कि क्या अंकेक्षण के उद्देश्य हेतू अंकेक्षक तथा नियंत्रण के लिये प्रभारित व्यक्तियों के बीच दो तरफा संप्रेषण (Two-way communication) पर्याप्त होगा। अपर्याप्तता अंकेक्षक को मिथ्याकथन की विद्यमानता की ओर ले जाती है।

CA Aseem Trivedi Indore